कार्यालय प्राचार्य, शासकीय बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

Website-www.blvcollegepallari.in E-mail id- govt.blvcollegepallari@gmail.com
Phone No.- 07727-277212 College Code- 1205

क्रमांक 293 / स्था. / 2026–27 पलारी, दिनांक–16 / 11 / 2026

परिशिष्ट 01

अतिथि व्याख्याता, /अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि शिक्षण सहायक / ग्रंथालय सहायक हेतु संक्षिप्त विज्ञापन 2026–27

शासकीय बृजलाल वर्मा महाविद्यालय पलारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा छ.ग. के सहायक प्राध्यापक / ग्रंथपाल के रिक्त पदों के विरूद्ध अध्यापन / पुस्तकालय व्यवस्था हेतु योग्य निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता / अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि शिक्षण सहायक / अतिथि ग्रंथालय सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन दिनांक 30.11.2026 को सायं 05:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

नोट– विस्तृत विज्ञापन संस्था के नोटिस बोर्ड, महाविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है। जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(आत्मा राम वर्मा)
PRINCIPAL
Govt.Brij Lal Verma College
PALLRI, Distt.B.Bazar-Bhatapara (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

Website-www.blvcollegepallari.in E-mail id- govt.blvcollegepallari@gmail.com
Phone No.- 07727-277212 College Code- 1205

क्रमांक 293 / स्था. / 2026–27 पलारी, दिनांक– 16 / 11 / 2026

परिशिष्ट 1 अ

/ /अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन 2026–27/ /

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक ESTB-2035/637/2026-RAJPATRIT STHAPANA, दिनांक 18.08.2026 एवं छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अतिथि व्याख्याता नीति–2024 (यथा संशोधित 2026) के अनुसार इस महाविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता / अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि शिक्षण सहायक / अतिथि ग्रंथालय सहायक हेतु आवदेन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन दिनांक 30.11.2026 को सायं 05:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ाअधिकारियों को कार्य के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधि विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत अतिथि शिक्षण सहायक / ग्रंथालय सहायक / क्रीड़ा सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा :– अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
   अतिथि ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय / पदों का विवरण :–

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या		
		सहायक प्राध्यापक	क्रीड़ा अधिकारी	ग्रंथपाल
1	अंग्रेजी	01	–	–
2	ग्रंथालय	–	–	01
	योग	01	–	01

टीप :– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्तें. :–

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल/पी–एच.डी., अनुभव प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित प्रति संलग्न करें।
2. दिनांक 30/11/2026 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकर किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकर करने की इस प्रक्रिया में ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 07/12/2026 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर किया जावेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति हेतु आवेदन दिनांक 10/12/2026 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 14.12.2026 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जा सकेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं हैं। एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवांए भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं होगा।
10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथा संशोधित 2026) की कंडिका 10 के अनुसार देय होगी।
11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यो में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवांए तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

(आत्मा राम वर्मा)
PRINCIPAL
Govt.Brij Lal Verma College
PALLRI, Distt.B.Bazar-Bhatapara(C.G.)